उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संo – 182 / वि0 अनु0–5 / स्टाम्प / 2003
देहरादूनः दिनांकः 18 जुलाई, 2003

अधिसूचना

उत्तरांचल में अपनी प्रकृति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 (यथा उत्तरांचल में लागू) द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–6 सन् 1976) (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1966) (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1956) (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित पट्टे की लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची एक– ख के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य शुल्क से ऐसी धनराशि पर जो निम्नलिखित से अधिक हो, प्रभार्य शुल्क की सीमा तक छूट प्रदान करते हैं–

(1) प्रतिफल की ऐसी रकम जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के दस गुने के बराबर हो, जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक किन्तु सौ वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है।

(2) प्रतिफल की ऐसी रकम जो ऐसे भाटक की, जो पट्टे के प्रथम पचास वर्ष की अवधि के सम्बन्ध में दिया जायेगा या परिदत्त किया जायेगा, पूरी रकम के एक तिहाई भाग के बराबर हो, जहाँ कि पट्टा सौ वर्ष से अधिक की अवधि के लिये या शाश्वतता के लिये तात्पर्यित है।

(3) प्रतिफल की ऐसी रकम जो ऐसे औसत वार्षिक भाटक की, जो प्रथम दस वर्ष के लिये उस दशा में दिया जायेगा या परिदत्त किया जायेगा जिसमें कि पट्टा उस अवधि तक चालू रहता, रकम या मूल्य के तीन गुना के बराबर हो, जहाँ कि पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित नहीं है।

(4) प्रतिफल की ऐसी रकम जो नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर हो, जहाँ कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मन्जूर किया है और जहाँ कोई भाटक आरक्षित नहीं है और तीस वर्ष से अधिक अवधि कि लिये तात्पर्यित नहीं है।

(5) पट्टों की भिन्न–भिन्न अवधि के सम्बन्ध में, यथास्थिति खण्ड (एक), (दो) या (तीन) में उल्लिखित रकम के अतिरिक्त, प्रतिफल की ऐसी रकम, जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टे में उपवर्णित है, बराबर हो, जहाँ कि पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मन्जूर किया गया है और तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है।

परन्तु इस अधिसूचना द्वारा दी गयी छूट उन्हीं लिखतों पर प्रभावी होगी जो ऊपर उल्लिखित निकायों द्वारा उन आवंटियों के पक्ष में निष्पादित की गयी हों, जिन्होंने आवंटित स्थावर सम्पत्ति के

सापेक्ष समस्त देयों का भुगतान दिनांक 31 मार्च, 2004 को या उसके पूर्व कर दिया हो।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/ वित्त अनु0–5/ स्टाम्प/ 2003 दिनांक उक्त
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव/ सचिव, राजस्व/ न्याय एवं विधायी/उद्योग/ आवास एवं नगर विकास उत्तरांचल शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3– महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तरांचल देहरादून।
4– महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठाभवन, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
5– उपनिदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना की 500 प्रतियाँ उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुये वित्त अनुभाग–5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6– समस्त उप/ सहायक आयुक्त, स्टाम्प, उत्तरांचल।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव